रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 19 दिसम्बर, 1974
अग्रहायण 28, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग–1

संख्या 4548/सत्रह–वि-1––70-74
लखनऊ, 19 दिसम्बर, 1974

अधिसूचन

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधयक, 1974 पर दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1974)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 तथा इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 और उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1–(1) यह अधिनियम विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अध्याय 2

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9, 1910 की धारा 6 का संशोधन

2--भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 म, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"(6-क) उपक्रम को क्रय करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी पर इस धारा के अधीन सूचना तामील किये जाने के पश्चात्--

(क) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सूचना तामील किये जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर उस सभी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री और संयंत्र की जो ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय उस उपक्रम की हो, तालिका तैयार करेगा और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और सूचना के लम्बित रहने के दौरान तथा जब तक कि उपधारा (6) के अधीन उपक्रम बोर्ड को न दे दिया जाय, सभी युक्तियुक्त समय पर बोर्ड या उसके अभिकर्त्ताओं अथवा राज्य सरकार के विद्युत् निरीक्षक या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी भूमि, भवन तथा संकर्म में प्रवेश करने और ऐसी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का निरीक्षण करने और उनकी तालिका तैयार करने अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई तालिका की शुद्धता की जांच करने की अनुज्ञा देने के लिये आबद्ध होगा;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम की अपनी सभी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र, केवल युक्तियुक्त टूट-फूट अथवा अप्रतिरोध्य बल के कारण हुए परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, वैसी ही अच्छी दशा में, जैसी वे ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय हों, बनाये रखने के लिये, और उक्त बोर्ड तथा उसके अभिकर्त्ताओं या राज्य सरकार के विद्युत् निरीक्षक अथवा उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त सूचना के लंबित रहने के दौरान और जब तक कि उपधारा (6) के अधीन उपक्रम बोर्ड को न दे दिया जाय, सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसी भूमि, भवन और संकर्म में प्रवेश करने और उनकी दशा का तथा उक्त सामग्री तथा संयंत्र की दशा का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देने के लिये, आबद्ध होगा;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा जिस प्रकार कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति उनका प्रयोग उस दशा में करता जब उपर्युक्त सूचना तामील न की गयी होती, किन्तु वह किसी ऐसे भवन, संकर्म, सामग्री अथवा संयंत्र को न तो गिरायेगा, न नुकसान पहुंचायेगा, न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो उसके लिये नाशक या स्थायी रूप से हानिकर हो और न उपक्रम से कोई ऐसी सामग्री या संयंत्र हटायेगा;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड को ऐसी सभी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का जो ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय विद्यमान हो, लेखा देने का दायी होगा।"

धारा 7 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 7 को पुनः संख्यांकित करके उसको उपधारा (1) कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात्:--

"(2) यदि कोई उपक्रम राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा क्रय किया जाय, और--

(1) उपक्रम के यथास्थिति क्रय किये जाने अथवा दिए जाने की तारीख को उपक्रम के सम्बन्ध में (संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 ई० के अन्तर्गत) मजदूर के रूप में नियोजित व्यक्तियों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय मजदूरी, बोनस, उपदान, भविष्य-निधि अथवा अन्य संदाय की कोई धनराशि ऐसे मजदूरों को असंदत्त रह जाय; या

(2) अनुज्ञप्तिधारी उक्त तारीख को देय किसी ऐसी धनराशि का, जो उपक्रम के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों के बारे में या तो अनुज्ञप्तिधारी के अभिदाय या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किये गये कर्मचारियों के अभिदाय या इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फन्ड्स ऐक्ट, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से वसूलीय किसी अन्य देय के सम्बन्ध में हो, संदाय करने में असफल रहा हो;

तो बोर्ड उक्त धनराशि का संदाय प्रथम उल्लिखित अधिनियम के अधीन कर्मचारियों अथवा न्यासी बोर्ड को, अथवा द्वितीय उल्लिखित अधिनियम के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जैसी भी दशा हो, को कर सकेगी और उसे अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त की जाने वाली क्रय धनराशि से काट सकेगी और यदि इस प्रकार संदत्त की जाने वाली धनराशि उपलब्ध क्रय धन से अधिक हो तो उस आधिक्य को अनुज्ञप्तिधारी से राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी।

(3) उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को दिये गये ऐसे समस्त प्रतिभूति निक्षेप जो उक्त तारीख को उपभोक्ताओं को असंदत्त रह जायें, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, बोर्ड को अन्तरित किये जायेंगे, और यदि वे इस प्रकार अन्तरित न किये जायें तो बोर्ड अथवा सरकार अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किये जाने वाले क्रय धन से उक्त निक्षेप की धनराशि काट लेगी, और यदि उक्त धनराशि उपलब्ध क्रय धन से अधिक हो तो उस आधिक्य को अनुज्ञप्तिधारी से राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगी।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा की गई कटौतियों और वसूली की सीमा तक अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, अपने कर्मचारियों या उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व से उन्मोचित हो जायगा।

(5) उपधारा (2), (3) तथा (4) के उपबन्ध, विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् क्रय किये गये ऐसे सभी उपक्रमों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनके बारे में क्रय धन अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किया जाना शेष रह गया हो।"

नयी धारा 42-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

धारा 6 के अधीन सूचना तामील होने के पश्चात् उपक्रम के किसी भाग को नुकसान पहुंचाने, हटाने आदि के लिए अथवा मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति

"42-क—कोई अनुज्ञप्तिधारी, अथवा उसके नियोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (6-क) के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, अथवा जो उस उपधारा की अपेक्षानुसार प्रस्तुत की गई तालिका में ऐसी विशिष्टियां देगा जो मिथ्या हैं अथवा जिनका मिथ्या होना या तो वह जानता है, या जिनके मिथ्या होने का वह विश्वास करता है, अथवा जिनके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता, जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, दैनिक जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु उस दशा में जब उल्लंघन में उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का नष्ट किया जाना अथवा हटाया जाना अन्तर्वलित हो तो ऐसा उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"

धारा 50 का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 50 निकाल दी जाय।

अध्याय 3

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 का संशोधन

ऐक्ट संख्या 54, 1948 की धारा 26 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 में द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय:—

"परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम की अनुसूची क खण्ड 6 के उपबन्ध, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में जहां बोर्ड द्वारा वितरण मेन बिछाये गये हों तथा उनमें से ऊर्जा का प्रदाय प्रारम्भ कर दिया गया हो, निम्नलिखित परिष्कारों के साथ, बोर्ड पर लागू होंगे :—

उपखण्ड (1) में—

(क) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय :—

"जहां खण्ड 4 अथवा 5 के उपबन्धों के अधीन वितरण मेन बिछा दिये जाने और उन मेनों अथवा उनमें से किसी मेन के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय प्रारम्भ कर दिये जाने के पश्चात् प्रदाय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा ऐसे परिसर के लिए अनुज्ञप्तिधारी से ऊर्जा प्रदाय करने के लिये अध्यपेक्षा की जाती है

तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से छः मास के भीतर प्रदाय करेगा और तब के सिवाय जब वह अन्धड़, बाढ़, तूफान अथवा अपने नियंत्रण से परे ऐसी ही अन्य घटनाओं के कारण ऐसा करने से निवारित हो जाय, अध्यपेक्षा के अनसार ऊर्जा प्रदाय करता रहेगा; ".

(ख) उसके चतुर्थ परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय :—

"परन्तु चतुर्थतः यह कि यदि ऊर्जा के प्रदाय के लिये कोई अध्यपेक्षा की जाय और अनुज्ञप्तिधारी किसी विद्युत् निरीक्षक के सन्तोषानुसार यह साबित कर सके कि—

(क) निकटस्थ वितरण मेन पहले ही से विद्युत् वहन क्षमता से पूर्णतः भारयुक्त है ; अथवा

(ख) उस दशा में, जब उसके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विद्युत् पारेषित किया जा रहा हो,दबाव में कमी से सामीप्य के अन्य उपभोक्ताओं को किये जाने वाले प्रदाय पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,

तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अध्यपेक्षा तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी उचित कालावधि के लिए जिसे ऐसा निरीक्षक वितरण मेन का सुधार करने अथवा उसे बिछाने या किसी अन्य वितरण मेन को स्थापित करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त समझे, स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा।"

(ग) उसके चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु पंचम यह कि बोर्ड राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी क्षेत्र के लिए कृषि कार्य के निमित्त प्राथमिकता के आधार पर विद्युत् प्रदाय का इस शर्त पर उपबन्ध करने वाली योजना तैयार कर सकेगा कि प्राथमिकता प्रभार का भुगतान या तो एक मुश्त या ऐसी किस्तों में जो योजना में विनिर्दिष्ट की जाय, किया जाय, और यदि ऐसी योजना तैयार की जाय तो योजना के निबंन्धनों के अनुसार ऊर्जा के प्रदाय के लिए अध्यपेक्षा करने वाला व्यक्ति , तब के सिवाय जब बोर्ड अंधड़, बाढ़, तूफान या अपने नियंत्रण से परे ऐसी ही अन्य घटनाओं के कारण ऐसा करने से निवारित हो जाय, तथा योजना की शर्तों के अनुसार किसी रोस्टरिंग के अधीन रहते हुए भी, अध्यपेक्षा करने के तीन मास के भीतर, प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जा के प्रदाय का तथा उसके चालू रखे जाने का हकदार होगा।"

धारा 47—क का नई धारा द्वारा प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 47—ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"47—क—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, और इस बात के होते हुए, भी कि धारा 47 के अधीन हराव पर परस्पर सहमति नहीं हुई अथवा यह कि उस निमित्त कोई विनियम नहीं बना गये हैं—

प्रतिभूति

(क) बोर्ड किसी अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत् प्रदाय करने की किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड द्वारा उस पर उस निमित्त लिखित सूचना तामील किये जाने के चौदह दिन के भीतर बोर्ड को उतनी धनराशि की प्रतिभूति निवदित न कर दे जो अनुज्ञप्तिधारी को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान के दो मास के विद्युत् प्रदाय के औसत प्रभार के (जिसे आगे औसत प्रभार कहा गया है) बराबर हो, और जहां बोर्ड द्वारा प्रतिभूति के रूप में औसत प्रभार से अधिक धनराशि की मांग की जाय वहां बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे अवधारित करेगा;

(ख) बोर्ड ऐसे प्रदाय को बन्द कर देने का हकदार होगा यदि अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति न दे दी हो, अथवा यदि उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति अविधिमान्य या अपर्याप्त हो गई हो, और ऐसा अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड द्वारा उस पर ऐसी अपेक्षा करने वाली सूचना के तामील किये जाने के सात दिन के भीतर, यथास्थिति, प्रतिभूति देने में अथवा प्रतिभूति को पर्याप्त धनराशि तक पूरा करने में, असफल रहा हो।"

नयी धारा 82—क का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 82 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"82—क—(1) बोर्ड के कब्जे में किसी रजिस्टर की प्रविष्टि की या किसी रसीद, आवेदन, रेखांक, सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज की प्रति, यदि वह इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की गयी हो, ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ली जायगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहार के लिये ऐसे प्रत्येक मामले में तथा उस विस्तार तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी जिसमें और जिस तक कि मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता तो, ऐसे विषयों को साबित करने के लिए ग्राह्य होगा।

बोर्ड के दस्तावेजों को साबित करने का ढंग

(2) बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में, जिसमें कोई पक्षकार न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या दस्तावेज जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा साबित की जा सकती हैं, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय या संव्यवहार को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा आदेश देना आवश्यक न समझे।

अध्याय 4

उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1०8

9—उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय-संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 19 8 में :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1958 का संशोधन

(1) धारा 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय—

(क) "उपभोक्ता" का अर्थ है कोई व्यक्ति जिसे सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था द्वारा बिजली शक्ति समरित की जाय, चाहे उसके स्वयं उपभोग के लिये हो, चाहे उसके बिजली शक्ति के संभरण के व्यापार के सम्बन्ध में हो, चाहे अन्यथा हो;";

(2) धारा 3 में, शब्द "कोई धनराशि" के पश्चात् शब्द और कोष्ठक "[जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 47-क के अधीन देय प्रतिभूति की धनराशि भी है]" रख दिये जायं और दिनांक 9 अक्टूबर, 1972 से रखे गये समझे जायें।

No. 4545 (2) /XVII-V—1-7074

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Vidyut Vidhi (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1974), as pasesd by the Uttar Pradesh Legislature and asesnted to by the President on December 17, 1974:

THE ELECTRICITY LAWS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1974

(U. P. Act No. 36 of 1974)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948, in their application to Uttar Pradesh and the Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act, 1958.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Electricity Laws (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974. **Short title and extent.**

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

CHAPTER II

Amendment of the Indian Electricity Act, 1910

2. In section 6 of the Indian Electricity Act, 1910, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *after* sub-section (6), the following sub-section shall be *inserted*, namely :— **Amendment of section 6 of Act IX of 1910.**

"(6-A) *After* the service upon the licensee under this section of a notice by the State Electricity Board exercising the option of purchasing the undertaking—

(*a*) the licensee shall prepare and furnish to the Board within a period of three months from the date of service of such notice an inventory of all lands, buildings, works, materials and plant

belonging to the undertaking at the time of the service of such notice and shall be bound to allow the Board or its agents or the Electrical Inspector to the State Government or any officer subordinate to him authorised by him in that behalf, at all reasonable times during the pendency of the said notice and until delivery of the undertaking to the Board under sub-section (6), to enter upon such lands, buildings and works, and inspect such lands, buildings, works, materials and plant and prepare an inventory thereof or to check the correctness of the inventory furnished by the licensee ;

(*b*) the licensee shall be bound to keep all his lands, buildings, works, materials and plant belonging to the undertaking in as good condition as they were at the time of the service of such notice, subject only to changes caused by reasonable wear and tear or by irresistible force, and to allow the said Board and its agents, or the Electrical Inspector to the State Government or any officer subordinate to him authorised by him in that behalf, at all reasonable times during the pendency of the said notice and until delivery of the undertaking to the Board under sub-section (6), to enter upon such lands, buildings and works and inspect the condition thereof and the condition of the said materials and plant ;

(*c*) the licensee may use the said lands, buildings, works, materials and plant as a person of ordinary prudence would use them if no such notice as aforesaid were served, but he shall not pull down or damage any such buildings, works, materials or plant or commit any other act which is destructive thereof or permanently injurious thereto or remove any such materials or plant from the undertaking ;

(*d*) the licensee shall be liable to account to the Board for all such lands, buildings, works, materials and plant, as existed at the time of the service of such notice."

Amendment of section 7.

3. Section 7 of the principal Act, shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1), as so *re-numbered*, the following sub-sections shall be *inserted*, namely :—

"(2) Where an undertaking is purchased by the State Electricity Board, and

(i) any amount of wages, bonus, gratuity, provident fund or other payment due on the date of purchase or of the delivery of the undertaking, as the case may be, to persons employed as workmen (within the meaning of the U. P. Industrial Disputes Act, 1947) in connection with the undertaking remains unpaid by the licensee to such workmen ; or

(ii) the licensee has failed to pay an amount due on the said date in respect of either the licensee's contribution or the employees' contribution realised by the licensee or any other dues recoverable from the licensee under the Employees' Provident Funds Act, 1952 or the Employees' State Insurance Act, 1948, in respect of persons employed in connection with the undertaking,

the Board may pay the said amounts to the employees or to the Board of Trustees under the first mentioned Act, or to the Employees State Insurance Corporation, under the second mentioned Act, as the case may be, and deduct the same from the purchase money to be paid to the licensee, and if the amounts so paid exceed the purchase money available, recover the excess from the licensee as arrears of revenue.

(3) All security deposits made by the consumers with the licensee that remain unpaid to the consumers on the said date shall be transferred by the licensee to the Board, and if they are not so transferred the Board shall deduct the amount of the said deposits from the purchase money to be paid to the licensee, and if the said amount exceeds the purchase money available, recover the excess from the licensee as arrears of revenue.

(4) The liability of the licensee towards his employees or consumers, as the case may be, to the extent of deductions and recoveries made by the Board under sub-sections (2) and (3) shall stand discharged.

(5) The provisions of sub-sections (2), (3) and (4) shall apply in respect of all undertakings purchased before or after the commencement of the Electricity Laws (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974, in respect of which the purchase money remains to be paid to the licensee."

4. *After* section 42 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of a new section 42-A.

"42-A. Any licensee, or any person in his employ and acting on his behalf, who contravenes any of the provisions of sub-section (6-A) of section 6, or who in an inventory furnished in compliance with the requirements of that sub-section, gives particulars which are false or which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, shall be punishable with a fine which may extend to two thousand rupees and in the case of a continuing offence, with a daily fine which may extend to two hundred rupees: Penalty for damaging or removing etc. any part of undertaking after service of notice under section 6 or for furnishing false information.

Provided that where the contravention consists of causing destruction to or the removal of any of the buildings, works, materials and plants referred to in that sub-section, any such person committing such contravention shall be punishable with imprisonment which may extend to six months and shall also be punishable with fine which may extend to two thousand rupees."

5. Section 50 of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 50.

CHAPTER III

Amendment of the Electricity (Supply) Act, 1948

6. In section 26 of the Electricity (Supply) Act, 1948, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* the second proviso, the following proviso shall be *substituted*: Amendment of section 26 of Act no. 54 of 1948.

"Provided further that the provisions of Clause VI of the Schedule to that Act shall apply to the Board, with the following modifications, in respect of that area where distribution mains have been laid by the Board and the supply of energy through any of them has commenced :

In sub-clause (1) —

(*a*) *for* the opening paragraph, the following paragraph shall be *substituted* :—

'Where after distributing mains have been laid down under the provisions of Clause IV or Clause V and the supply of energy through those mains or any of them has commenced a requisition is made by the owner or occupier of any premises situate within the area of supply requiring the licensee to supply energy for such premises, the licensee shall, within six months of the making of the requisition, supply, and save in so far as he is prevented from doing so by cyclones, floods, storms or other occurrences beyond his control, continue to supply, energy in accordance with the requisition :'

(*b*) *for* the fourth proviso thereto, the following proviso shall be *substituted* :—

'Provided, fourthly, that if any requisition is made for supply of energy and the licensee can prove, to the satisfaction of an Electrical Inspector—

(*a*) that the nearest distributing main is already loaded up to its full current carrying capacity, or

(*b*) that, in case of a larger amount of current being transmitted by it, the loss of pressure will seriously affect the efficiency of the supply to other consumers in the vicinity,

the licensee may refuse to accede to the requisition for such reasonable period, not exceeding three years, as such Inspector may think sufficient for the purpose of amending the distributing main or laying down or placing a further distributing main ;'

(*c*) *after* the fourth proviso thereto, the following proviso shall be *inserted*, namely :—

'Provided, fifthly, that the Board may with the approval of the State Government prepare a scheme for an area providing for the supply of electricity for the purposes of agricultural operations on priority basis subject to the conditions of payment of priority charges either in a lump-sum or in such instalments as may be specified in the scheme, and where such scheme is prepared, the person making the requisition for the supply of energy in accordance with the terms of the scheme shall be entitled to supply of energy on priority basis within three months from the

making of the requisition and to continuance of such supply save in so far as the Board is prevented from doing so by cyclones, floods, storms or other occurrences beyond its control, and subject further to any rostering in accordance with the terms of the scheme'."

Substitution of section 47-A by a new section.

7. *For* section 47-A of the principal Act the following section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"47-A. Notwithstanding anything in this Act, and notwithstanding Security. that no arrangements have been mutually agreed under section 47 or that no regulations have been made in that behalf—

(*a*) the Board shall not be bound to comply with any requisition to supply electricity to a licensee unless the licensee within fourteen days after the service on him by the Board of a notice in writing in that behalf, tenders to the Board security in such amount as is equivalent to the average charges for two months' supply of electricity during the preceding financial year to the licensee (hereinafter referred to as the average charges), and where an amount in excess of the average charges is demanded by the Board as security, the Board shall determine the same after giving an opportunity of hearing to the licensee ;

(*b*) the Board shall be entitled to discontinue such supply if the licensee has not already given security, or if any security given by him has become invalid or insufficient, and such licensee fails to furnish security or to make up the security to a sufficient amount, as the case may be, within seven days after the service upon him of notice from the Board requiring him so to do."

Insertion of new section 82-A.

8. *After* section 82 of the principal Act the following section shall be *inserted*, namely :—

"82-A (1) A copy of an entry in any register, or of any receipt, application, plan, notice, order or other document in the possession of the Board, shall, if duly certified by an officer authorised in this behalf, be received as *prima facie* evidence of entry or document and be admitted as evidence of the matter or transaction therein recorded in every case where, and to the same extent as, the original entry or document would, if produced, have been admissible to prove such matters.

Mode of proof of documents of the Board.

(2) No member, officer or servant of the Board shall, in any legal proceeding to which the Board is not a party, be required to produce any register or document, the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy or to appear as a witness to prove the matter or transaction recorded therein unless the court, for reasons to be recorded, considers it necessary to make such an order."

CHAPTER IV

Amendment of the Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act, 1958

Amendment of U. P. Act no. 16 of 1958.

9. In the Uttar Pradesh Government Electrical Undertakings (Dues Recovery) Act, 1958—

(i) in section 2, *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*a*) 'Consumer' means any person who is supplied with energy by a Government electrical undertaking whether for his own consumption or in connection with his business of supplying energy or otherwise ;";

(ii) in section 3, *after* the words "any dues", the words and the brackets "[including the amount of security payable under section 47-A of the Electricity (Supply) Act, 1948]" shall be *inserted* and be deemed to have been inserted with effect from October 9, 1972".

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 279 सा० (विधायिका)—1974—500(मे०)